संख्या-41/2015/क0नि0-4-1460/11-15-300(29)/2014

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 22 सितम्बर, 2015

विषयः- एन0आई0सी0 द्वारा विभाग की आनलाइन सेवाओं हेतु बल्क पुश एस0एम0एस0 सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- आई0टी0 एस0एम0एस0 गेटवे/2015-16/549 दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 08-04-2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर आय-व्ययक से टेलीफोन पर व्यय मद में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़) में से दिनांक 01 सितम्बर, 2015 से दिनांक 31-3-2016 तक की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा विभाग की आनलाइन सेवाओं हेतु बल्क पुश एस0एम0एस0 सुविधा पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रूपये 8,82,322.00 (रू0 आठ लाख बयासी हजार तीन सौ बाईस मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दोनों सेवा प्रदाताओं द्वारा एक ही कार्य के लिये दो एम0एम0एस0 न भेजा जाय।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि समायोजन भी दिनांक 31.3.2016 तक कर लिया जायेगा।

3- उक्त अग्रिम वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2011-15(4)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ.ए.-1- 287/दस-2015, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
गीता मिश्रा,
विशेष सचिव।

संख्या-41/2015/क0नि0-4-1460 (1)/11-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।